

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.भूप्रआ/समु/आरआर/11/2/12/96/

जयपुर, दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी
उदयपुर

विषय:- तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के विलोपित की अधिसूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- राजस्व (ग्रुप-1) विभाग का पत्रांक प.13(15)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 21.02.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के ग्रामों के विलोपित की अधिसूचना धारा-106 व 107 दिनांक 21.02.2017 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

80—

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प./समसंख्यक/ 598

जयपुर, दिनांक: 6/3/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. प्रभारी, डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठ, मुख्य कार्यालय, राजस्थान, जयपुर

11/3/17

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 106, 107 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा पूर्व में निम्न सारणी में वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा तहसील व जिला डूंगरपुर सारणी कालम-4 में अंकित ग्राम बन्द घोषित किये गये थे, जिन्हें इस अधिसूचना की प्रसारण दिनांक से विलोपित किया जाता है :-

| क्र०सं० | बंद की अधिसूचना का क्रमांक व दिनांक | ग्राम | विलोपित किये गये ग्राम | विलोपित किये जाने का कारण |
|---------|--|-----------|--|--|
| 1 | प.13(25)राज./ग्रुप-1/96 दिनांक 18.01.2002 | 71 ग्राम | 1 क.सं. 36 भागोता का ओडा 2 क.सं. 41 राजपुर 3 क.सं. 50 गुमानपुरा | इस नाम का कोई ग्राम नहीं होने से ग्राम का नाम दो स्थान पर होने से ग्राम का नाम दो स्थान पर होने से |
| 2 | प.13(15)राज./ग्रुप-1/11 दिनांक 27.12.2011 | 113 ग्राम | 1 क.सं. 17 माथुगामडा 2 क.सं. 39 पाटडी 3 क.सं. 95 बंदडा 4 क.सं. 100 रंगेला | दो अधिसूचनाओं द्वारा बन्द होने से दो अधिसूचनाओं द्वारा बन्द होने से दो अधिसूचनाओं द्वारा बन्द होने से दो अधिसूचनाओं द्वारा बन्द होने से |
| 3 | प.13(15)राज./ग्रुप-1/11 दिनांक 23.06.2015 | 73 ग्राम | 1 क.सं. 25 आशापुरा 2 क.सं. 36 नवाडेरा 3 क.सं. 66 तलैया | इस नाम का कोई ग्राम नहीं होने से दो अधिसूचनाओं द्वारा बन्द होने से दो ग्राम के स्थान पर तीन ग्राम बन्द होने से |

राज्यपाल की आज्ञा से

रु
(दुर्गा जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/12/96/3998 दिनांक 24.11.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज., जयपुर
पत्र-प्राप्ति
02 MAR 2017
क्रमांक 144

संयुक्त शासन सचिव

RR
21/3/2017